नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा, जिला – जशपुर

स्थापना- 09-जुलाई-2012

(संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर से सम्बद्ध)

NAAC Grade- C

Prospectus 2023-24

प्रथम संस्करण

30-जून-2023

https://govtcollegeaara.in/

विषय – सूची

विषय	पृष्ट संख्या
1. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद पत्र और प्रमाण पत्र	3
2. प्राचार्य के कलम से	4
3. महाविद्यालय के सदस्य-गण	5
4. महाविद्यालय का परिचय, दृष्टि , उद्देश्य	6
5. संस्थागत सेटअप	7
6. विभागाध्यक्ष	7
7. कार्यक्रम और पाठ्यक्रम स्वरुप	8
8. प्रवेश हेतु आरक्षित सीट	8
9. प्रवेश सम्बंधी नियम	9
10. प्रवेश पात्रता	9-10
11. विश्वविद्यालय नामांकन – (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)	10-12
12. छात्रवृतियाँ	12
13. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.)	12
14. प्रयोगशाला सुविधाएं	13
15. अन्य सुविधाएं	13
16. अन्य गतिविधियां	14
17. खेल-कूद सुविधाएं	14-15
18. रैगिंग पर पाबंदी	15
19. धूम्रपान निषेध परिसर	16

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
is pleased to declare the
Nayak Nityanand Sai Government College, Aara
Vill. Aara, Dist. Jashpur,
affiliated to Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja, Chhattisgarh as
Accredited
with CGPA of 1.87 on four point scale
at C grade
valid up to December 20, 2026

Date : December 21, 2021

S. C. Game
Director

EC(SC)/85/1st Cycle/CGCOGN108886

प्राचार्य के कलम से...

अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपने उच्च शिक्षा के आयामों को स्पर्श करने के लिए इस महाविद्यालय का चयन किया, मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।

हमारा यह महाविद्यालय सन् -2012 से संचालित है, यहाँ स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एम. एस. सी. –वनस्पतिशास्त्र है, तथा महाविद्यालय मे एन. एस. एस. की इकाई विद्यमान है।

विद्यार्थियों की सजगता एवं लगनशीलता विद्यार्जन में सर्वोच्चता लाती है। अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति की श्रृंखला में हमारे महाविद्यालय के परिसर की अधोसंरचना, शैक्षणिक परिवेश एवं शैक्षणिक गतिविधियां जैसे- प्रयोगशाला, ग्रंथालय एवं खेलकुद की सुविधा उपलब्ध है, जो आपके भविष्य निर्माण मे सहायक सिद्ध हो, ऐसा मेरा विश्वास है।

महाविद्यालय में सीमित संसाधनों के बावजूद अपने विशिष्ट कार्यों के बल पर अपने तथ्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है, इसी कड़ी में **माह – दिसंबर सन् -2021 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NACC) द्वारा महाविद्यालय को ‘’सी’’ – ग्रेड** प्रदान किया गया है।

वर्तमान मे मानव समुदाय वैश्विक महामारी कोविड -19 से जूझ रहा है, इससे बचाव हेतु आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए हम इस महामारी से धीरे – धीरे मुक्त हो रहे है, किन्तु आगे भी कोविड – 19 से बचाव हेतु निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा है इन परिस्थियों में भी शिक्षण कार्य के निष्पादन हेतु कक्षा में भौतिक उपस्थिति के साथ ऑनलाइन अध्यापन तकनीक को अपनाकर विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन में महाविद्यालय परिसर सदैव तत्पर रहा है।

इस देश के प्रेरणा-पुंज **स्वामी विवेकानंद** ने भी उपनिषदों से चुने हुए ध्येय वाक्य जो कहता है **“उठो, जागो और तब तक लक्ष्य प्राप्त न हो चलते रहो, चलते रहो”।**

छात्र/छात्राओं से ही महाविद्यालय का अस्तित्व रहा है, आप संस्कारित एवं उत्कृष्ट अनुशासन में रहते हुए सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।

श्रीमती वंदना पाठक
प्राचार्य
नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा,
जिला – जशपुर (छ. ग.)

महाविद्यालय के सदस्य-गण

- श्रीमती वंदना पाठक
- सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) एवं प्रभारी प्राचार्य
- प्रथम नियुक्ति- 13/09/1983
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 22/08/2017

- श्री आशीष कुमार राजपाल
- सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र)
- प्रथम नियुक्ति- 07/09/2017
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 07/09/2017

- सुश्री दुर्गावती पैकरा
- सहायक प्राध्यापक (हिंदी)
- प्रथम नियुक्ति- 07/01/2022
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 07/01/2022

- सुश्री निकिता मिंज
- सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
- प्रथम नियुक्ति- 29/03/2022
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 29/03/2022

- सुश्री खुशबू खलखो
- सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र)
- प्रथम नियुक्ति- 06 /04/2022
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 06/04/2022

- श्री भूपेंद्र सिंह बंजारे
- सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र)
- प्रथम नियुक्ति- 21/04/2022
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 21/04/2022

- श्री रविकांत भगत
- सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)
- प्रथम नियुक्ति- 02/06/2022
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 02/06/2022

- श्री अनुप निरंजन कुजुर
- प्रयोगशाला तकनीशियन
- प्रथम नियुक्ति- 01/03/2013
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 01/03/2013

- श्री संजयपाल सिंह पैकरा
- सहायक ग्रेड – 3
- प्रथम नियुक्ति- 27/04/2016
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 27/04/2016

- श्री विनोद प्रजापति
- भृत्य
- प्रथम नियुक्ति- 15/12/2011
- महाविद्यालय में नियुक्ति – 21/07/2014

महाविद्यालय का परिचय

नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, आरा (पूर्व शासकीय नवीन महाविद्यालय, आरा) छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम आरा में स्थित है। यह आदिवासी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र झारखंड राज्य की सीमा से लगा हुआ है। संस्थान का दृष्टिकोण "सीखने का केंद्र बनना, शिक्षार्थियों को प्रेरणा देना और उन्हें समाज की प्रगति के लिए ज्ञानी, कुशल और मूल्य आधारित नागरिक बनाना और शिक्षा के माध्यम से एक अच्छा नागरिक बनना" है। यह संस्थान जुलाई-2012 में स्थापित किया गया था और उस समय यह सरकार के परिसर से कार्य कर रहा था। हायर सेकेंडरी स्कूल आरा सत्र 2012-13 में 39 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। फरवरी 2017 में, कॉलेज ठुठी अंबा रोड, आरा में स्थित अपने स्वयं के परिसर में लगभग 2 किलोमीटर आंतरिक रूप से स्थानांतरित हो गया। कॉलेज का परिसर 12 एकड़ (4.857 हेक्टेयर) में फैला हुआ है। यह संस्थान वर्तमान में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ (तत्कालीन सरगुजा विश्वविद्यालय) से संबद्ध है। यह कॉलेज सह-शिक्षा संस्थान है और स्नातक 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम संचालित करता है - बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), बैचलर ऑफ कॉमर्स (बीकॉम) और बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए) प्रत्येक कार्यक्रम में 60 सीटें स्वीकृत हैं और 2 स्नातकोत्तर कार्यक्रम - वनस्पति विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी) एवं रसायन शास्त्र में मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी) जिसमें क्रमशः 40 और 20 स्वीकृत सीटें हैं। इस कॉलेज में बी.एस.सी. कार्यक्रम में बायो ग्रुप बनाने वाले मुख्य विषयों के रूप में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है, बी.ए. कार्यक्रम में मुख्य विषयों के रूप में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल है, बीकॉम में सामान्य विषय हैं। अधिकांश छात्र एसटी, एससी और ओबीसी श्रेणियों के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कॉलेज पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को उनके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है। शासकीय महाविद्यालय होने के कारण संस्थान का संचालन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुसार होता है। मुख्य वित्त पोषण एजेंसी उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार है। चूंकि यह कॉलेज नव स्थापित है और सामग्री की आवश्यकता अधिक है, संस्थान अक्सर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजट की मांग करता है ताकि छात्रों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। छत्तीसगढ़ सरकार एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्रों और दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

दृष्टि

संस्थान की दृष्टि "सीखने का केंद्र बनना, शिक्षार्थियों को प्रेरणा देना और उन्हें समाज की प्रगति के लिए ज्ञानी, कुशल और मूल्य आधारित नागरिक बनाना और शिक्षा के माध्यम से एक अच्छा नागरिक बनना है।"

उद्देश्य

1. मूल्य आधारित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
2. इस क्षेत्र के युवाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना।
3. छात्रों के समग्र विकास की दिशा में काम करना ताकि वे स्वतंत्र रूप से समाज की जरूरतों को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें।
4. उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना और बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करना।
5. सांस्कृतिक विविधता, पर्यावरण हितैषी प्रथाओं का प्रचार-प्रसार करना और सतत विकास को बढ़ावा देना।

संस्थागत सेटअप (30-06-2023 की स्थिति में)

SN	Designation	Sanctioned	Working
1.	Principal	01	00
2.	Professor	02	00
3.	Assistant Professor	11	07
4.	Assistant Grade-1	01	00
5.	Assistant Grade-2	01	00
6.	Assistant Grade-3	01	01
7.	Lab Technician	03	01
8.	Peon	02	01
9.	Watchman	01	00
10.	Sweeper	01	00
#	**Total**	**24**	**10**

विभागाध्यक्ष

संस्था प्रमुख – श्रीमती वंदना पाठक (प्रभारी प्राचार्य)

स.क्र.	विभाग	विभागाध्यक्ष
1	अर्थशास्त्र	श्रीमती वंदना पाठक (सहायक प्राध्यापक)
2	प्राणी शास्त्र	श्री आशीष कुमार राजपाल (सहायक प्राध्यापक)
3	हिंदी	सुश्री दुर्गावती पैकरा (सहायक प्राध्यापक)
4	वाणिज्य	सुश्री निकिता मिन्ज (सहायक प्राध्यापक)
5	वनस्पति शास्त्र	सुश्री खुशबू खलखो (सहायक प्राध्यापक)
6	रसायन शास्त्र	श्री भूपेंद्र सिंह बंजारे (सहायक प्राध्यापक)
7	अंग्रेजी	श्री रविकांत भगत (सहायक प्राध्यापक)
8	समाजशास्त्र	रिक्त
9	भूगोल	रिक्त

कार्यक्रम और पाठ्यक्रम स्वरुप

SN	Programme offered	Duration	Pattern	Sanctioned seats	Subject taught
1.	B.Sc. (Bio Group)	3 Years	Annual Examination Pattern	60	Botany, Zoology, Chemistry, Foundation Course – Hindi, English & Environmental Studies
2.	B.A.	3 Years	Annual Examination Pattern	60	Sociology, Economics, Geography, Foundation Course – Hindi, English & Environmental Studies
3.	B.Com.	3 Years	Annual Examination Pattern	60	General, Foundation Course – Hindi, English & Environmental Studies
4.	M.Sc. (Botany)	4 Semesters	CBCS Pattern	40	—
5.	M.Sc. (Chemistry)	4 Semesters	CBCS Pattern	20	—

Reservation of seats for admission 2023-24

SN	Programme	Total Seats	Category wise Total No. of Seats				Seats reserved for female out of category wise total no. of Seats				Seats reserved for Divyangjan out of total seats	Seats reserved for Freedom fighter decedents out of total seats
			UR	**ST**	**SC**	**OBC**	**UR**	**ST**	**SC**	**OBC**		
1.	B.Sc.	**60**	26	19	7	8	8	6	2	2	3	2
2.	B.A.	**60**	26	19	7	8	8	6	2	2	3	2
3.	B.Com.	**60**	26	19	7	8	8	6	2	2	3	2
4.	M.Sc. (Botany)	**40**	16	13	5	6	5	4	2	2	2	1
5.	M.Sc. (Chemistry)	**20**	9	6	2	3	3	2	1	1	1	1

प्रवेश पात्रता

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार निम्नलिखित छात्र/छात्राएं प्रवेश पा सकेंगे -

1. **स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. – वनस्पति शास्त्र) प्रथम सेमेस्टर – संबंधित विषय में स्नातक उपाधि ।**
2. **स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. – रसायन शास्त्र) प्रथम सेमेस्टर – संबंधित विषय में स्नातक उपाधि ।**
3. **स्नातक – बी. ए., बी. कॉम. एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष –**
   - छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर/सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं/ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
4. **स्नातक - बी. ए., बी. कॉम. एवं बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष –**
   - बी. ए., बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो । अथवा
   - विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
5. **स्नातक - बी. ए., बी. कॉम. एवं बी.एस.सी. तृतीय वर्ष –**
   - बी. ए., बी.कॉम. एवं बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो । अथवा
   - विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

प्रवेश सम्बंधी नियम

प्रवेश तिथि

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक योग्य आवेदक को महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता है । नवीन प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र –छत्राओं को निर्धारित तिथि तक प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा । स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही स्वाध्यायी या बाह्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा ।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 से आरंभ होगा । प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 16 जून से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है । इच्छुक आवेदक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट- https://www.sggcg.in/public/home/welcome लिंक से आवेदन कर सकते हैं ।

प्रवेश नियम (ADMISSION RULE)

1. यदि छात्र/छात्रा एक संकाय छोड़ दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जाएगा ।
2. छात्र /छात्रा अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहते है उसका चयन सावधानी से करें । विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
3. शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश मार्गदर्शिका अनुसार योग्यता के आधार पर ही दिया जाएगा ।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के क्रमश: 12 प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। विकलांग हेतु 5 प्रतिशत , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज हेतु 3 प्रतिक्षण आरक्षण होगा। आरक्षित स्थानों के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।

5. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जाएगी, प्रवेश-सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। छात्र/छात्राएं महाविद्यालय के सूचना पटल का नियमित अवलोकन करते रहें। यह सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट www.govtcollegeaara.in पर भी उपलब्ध रहेगी।

6. प्रवेश सूची जारी होने के बाद निर्धारित अधिसूचना अनुसार शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा।

7. प्रत्येक छात्र को एन. एस. एस./एन. एन. सी. , यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी अथवा खेलकुद/सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य है।

8. प्रवेश संबंधी अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा जो बाध्यकारी होगा।

विश्वविद्यालय नामांकन – (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)

1. प्रत्येक नव प्रवेशित छात्र/छात्रा को संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) से नामांकन कराना अनिवार्य है। नामांकन फार्म निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें।

2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा संत गहिरा विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

3. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा को दिया गया प्रवेश, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) द्वारा मान्य न होने तक अस्थाई रहेगा। अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र

समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन पध्दति से होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

विशेष

निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है –

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (ORIGINAL TC)।
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस ठाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस ठाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से

अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा।

3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि मूल अंकसूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें। मूल अंक सूची छात्र को तुरंत वापस कर दी जाएगी।
4. प्रवजन प्रमाण पत्र (MIGRATION CERTIFICATE) (उन विद्यार्थी के लिए है जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर छ. ग. या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित किसी भी संस्था का विद्यार्थी न रहा हो)।
5. पिछली कक्षा का प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (PRIVATES) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्ही दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. माता/पिता/पालक का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र) संलग्न करें।
8. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठा या अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसे गत वर्षों की परीक्षा संबंधी जानकारी (शपथ पत्र) प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
9. जिन विद्यार्थी ने गत परीक्षा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर छ.ग. अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल/ सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर छ.ग. से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण-पत्र महाविद्यालय प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
10. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृतिओं के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे –

    (1) जाति प्रमाण-पत्र

    (2) आय प्रमाण-पत्र

    (3) निवास प्रमाण-पत्र

    ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाए।
11. नौकरी करने वाली विद्यार्थी के लिए नियोक्ता का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक भी।
12. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्ही कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो/ अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा अध्ययन बीच में बंद कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थी को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
13. शासकीय नियमों के विरुध्द प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
14. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की राजपत्रिक अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
15. प्रवेशित विद्यार्थी को एंटी रैगिंग की आधिकारिक वेबसाईट - https://www.antiragging.in/ से आनलाइन शपथ भरकर प्रिन्ट कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
16. प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदि –

- छात्र/छात्रा महाविद्यालय का प्रवेश-शुल्क निर्धारित तिथि के अंदर जमा नहीं करता है।
- छात्र/छात्रा महाविद्यालय की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहता है।
- छात्र/छात्रा का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि से असंतोषजनक हो।
- छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है।
- छात्र/छात्रा रैगिंग करता है।
- अन्य किसी भी विशेष कारणों से जनहित में।
- शासकीय आदेशानुसार यदि कोई छात्र/छात्रा लगातार 1 महीने से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जाएगा।

छात्रवृतियाँ

महाविद्यालय में दो प्रकार की छात्रवृतियाँ उपलब्ध है, जो प्रत्येक सत्र में देय होती है।

1. अनुसूचित जाति (sc), अनुसूचित जनजाति (st) एवं पिछड़ा वर्ग (obc) के विद्यार्थियों को छ.ग. राज्य शासन के नियमानुसार पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. छ.ग. शासन के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यागजन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।

प्रवेश प्रक्रिया के बाद पात्र विद्यार्थी शासन द्वारा निर्धारित समय पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते है। वर्तमान में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन और दिव्यागजन प्रोत्साहन के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाते है। विगत वर्षो में वितरित छात्रवृत्ति की जानकारी महाविद्यालय के निम्न लिंक https://govtcollegeaara.in/scholarship/ पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.)

यह योजना संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.) से सम्बंध है, महाविद्यालय में रा. सेवा योजना (एन. एस. एस.) की 50 छात्र/छात्राओ की इकाई कार्यरत है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी श्रमदान,जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं समयानुकूल समाज सेवा का कार्य किया जाता है। छात्र-छात्राओ को एन. एस. एस. के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि मे सेवा कार्य पूर्ण करना होता है। बी एवं सी प्रमाण पत्र की परीक्षा की पात्रता हेतु नियमित गतिविधियों मे 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं कम से कम 7 दिवसीय एक शिविर मे भागीदारी आवश्यक है। महाविद्यालय में श्री रविकांत भगत सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) एन. एस. एस. कार्यक्रम अधिकारी हैं।

- प्रयोगशाला सुविधाएं
  - प्राणी शास्त्र
  - रसायन शास्त्र
  - वनस्पति शास्त्र
  - भूगोल

- अन्य सुविधाएं
  - ग्रंथालय
  - एन. एस. एस.

अन्य गतिविधियां

खेल-कूद सुविधाएं

इनडोर खेल-कूद
कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस

आउटडोर खेल-कूद

बैड्मिंटन, क्रिकेट, वालीबाल, फुटबाल

रैगिंग पर पाबंदी

शिक्षा मंत्रालय द्वारा रैगिंग प्रथा को निषिद्ध किया गया है। इस संबंध मे महाविद्यालय में एंटी-रैगिंग कमिटी बनाया गया है, जो रैगिंग लेने वाले या इसमें संलग्न छात्र को कमिटी के निर्णय अनुसार तुरंत महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है। अतः महाविद्यालय परिसर शून्य रैगिंग युक्त है। प्रवेशित विद्यार्थी को एंटी रैगिंग की आधिकारिक वेबसाईट - https://www.antiragging.in/ से आनलाइन शपथ भरकर प्रिन्ट कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

धूम्रपान मुक्त महाविद्यालय परिसर

इस संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाखू उत्पाद बेचने या सेवन करने पर COTPA-2003 (धारा 6-बी) के अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तहत महाविद्यालय में तंबाखू मॉनिटरिंग कमिटी बनाया गया है, जो उक्त प्रकरण के संबंध में 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है जिसका निर्णय कमिटी द्वारा किया जाता है।